**संख्या-10/1-ई.एम./2013-का4-2013**

प्रेषक,

जावेद उस्मानी,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
   उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक : 16 नवम्बर, 2013

विषयः-कतिपय सेवा संघों (महासंघ/परिसंघ/संघ) द्वारा दिनांक 12.11.2013 से की जा रही हड़ताल के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-1-ई.एम./2013-का-4-2013 दिनांक 11 नवम्बर, 2013 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें कर्मचारियों को हड़ताल/कार्य बहिष्कार में भाग न लेने हेतु प्रेरित करने तथा हड़ताल/कार्य बहिष्कार किये जाने की स्थिति में इससे निबटने के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश प्रसारित किये गये हैं। राज्य कर्मचारियों के कतिपय संगठनों द्वारा राज्य सरकार द्वारा किये गये अनुरोध के उपरान्त भी हड़ताल/कार्य बहिष्कार 12.11.2013 से किया जा रहा है। इस दौरान शासन के संज्ञान में निम्नलिखित तथ्य आये हैं:-

(1) अधिकांश कर्मी, जो हड़ताल में शामिल नहीं हैं, उन्हें कुछ हड़ताल में शामिल कर्मियों द्वारा कार्य पर जाने से रोका जा रहा है अथवा कार्यालय में आकर कार्य करने में अवरोध उत्पन्न किया जा रहा है।

(2) हड़ताल में शामिल कर्मियों द्वारा समूह बनाकर राजकीय कार्यालय, चिकित्सालय एवं अन्य शासकीय संस्थाओं में जाकर उपद्रव किया जा रहा है तथा जबरन कार्यालयों को बंद कराने का प्रयास किया जा रहा है।

(3) कतिपय कर्मी कार्यालय में आकर उपस्थिति पंजिका में हस्ताक्षर कर कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं।

(4) कार्य करने के लिए इच्छुक कर्मियों को हड़ताल में शामिल करने के लिए अनावश्यक दबाव तथा डराये-धमकाये जाने की जानकारी भी प्राप्त हुई है।

2. उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली, 1956 के नियम-5-ए(2), जो निम्न हैः-

"Demonstrations and strike- No Government servant shall-

(2) resort to, or in any way abet, any from of strike in connection with any matter pertaining to his service or the service of any other government servant."

के अनुसार सरकारी सेवक अपने किसी सेवा संबंधी प्रकरण अथवा किसी अन्य के सेवा संबंधी प्रकरण के संबंध में किसी प्रकार की आन्दोलनात्मक कार्यवाही अथवा हड़ताल नहीं करेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

3. उत्तर प्रदेश (सेवा संघों को मान्यता) नियमावली, 1979 के नियम-4(ढ), जो निम्न है:-

4(ढ)- ''सेवा संघ'' सामान्य और सुचारू रूप से सरकारी कार्य-संचालन में बाधा डालने या अवरोध उत्पन्न करने की दृष्टि से अपने सदस्यों को हड़ताल करने या धीरे काम करने या कोई अन्य तरीका अपनाने के लिए न प्रेरित करेगा न उकसायेगा, न भड़कायेगा, न उत्तेजित करेगा न सहायता और न सहयोग देगा।

के अनुसार इन संघों को अपने सदस्यों को हड़ताल करने या सरकारी कार्य संचालन में बाधा डालने के लिए प्रेरित करने का निषेध है।

4. उक्त प्राविधानों से स्पष्ट है कि सरकारी कार्य संचालन में बाधा डालना, अवरोध उत्पन्न करना या इसके लिये राज्य कर्मचारियों को उकसाने या प्रेरित करना नियम विरूद्ध है तथा अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। ऐसी स्थिति में जो कर्मी ऐसा करेंगे, उनके विरूद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के तहत कार्यवाही किये जाने की व्यवस्था है।

5. उपर्युक्त के दृष्टिगत आपको निर्देशित किया जाता है कि ऐसे कर्मी, जो हड़ताल में शामिल हैं तथा प्रस्तर-1 से 4 तक में अंकित कृत्यों में संलिप्त हैं, के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही तो की ही जाये, साथ ही यदि कोई आपराधिक प्रकरण बनता हो, तो ऐसे कर्मियों के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) दर्ज कर विधि के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। इस संबंध में की गयी कार्यवाही से प्रतिदिन प्रमुख सचिव, कार्मिक को फैक्स/ई-मेल से अवगत कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(जावेद उस्मानी)
मुख्य सचिव

संख्या-1-ई.एम./2013(1)-का-4-2013, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
2. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

(राजीव कुमार)
प्रमुख सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in